संक्षिप्त समाचार

लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग करने वाला आरोपित गिरफ्तार, उसके पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद

मंगलौर (रुड़की), एजेंसी। हथियाथल गांव में एक ग्रामीण पर रिवाल्वर से फायरिंग करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से लाइसेंसी रिवाल्वर, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। आरोपित ने बेटे से विवाद होने पर ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया था। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हथियाथल गांव निवासी सोनू नौ मई 2022 को एक शादी समारोह में गया था। वहां पर गांव के ही सत्यराज का बेटा भी शादी समारोह में आया हुआ था। यहां पर किसी बात को लेकर सोनू से इसका विवाद हो गया था। उस समय तो मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन इसके बाद जब सोनू अपने खेत में जा रहा था तो जैसे ही वह सत्यराज के घर के पास पहुंचा तो सत्यराज अपने मकान की छत पर आ गया। आरोप है कि उसने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से सोनू पर फायरिंग कर दी। लेकिन गनीमत यह रही कि सोनू को गोली नहीं लगी। इसके बाद सत्यराज ने हवाई फायरिंग कर दी। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में सोनू ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने इस मामले में सत्यराज निवासी हथियाथल पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को पुलिस ने आरोपित सत्यराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक लाइसेंसी रिवाल्वर, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया है।

उत्तराखंड की महिलाओं में बढ़ रहा मोटापा, शहरों के साथ ग्रामीण महिलाएं ओवरवेट

हरिद्वार, एजेंसी। उत्तराखंड की महिलाओं में मोटापा बढ़ रहा है। पांच वर्ष पहले राज्य में 20.4 फीसदी महिलाएं ही मोटापे की शिकार थीं। अब यह संख्या बढ़कर 29.7 फीसदी तक जा पहुंची है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस)-5 की जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बीते दिनों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकांश राज्यों में अधिक वजन या मोटापे की व्यापकता में बढ़ोतरी हुई है। बात उत्तराखंड की करें तो यहां एक चौथाई से अधिक महिलाएं मोटापा से ग्रसित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की शहरी क्षेत्र की 39.1% और ग्रामीण परिवेश में रहने वाली 25.4% महिलाएं मौजूदा समय में ओवरवेट हैं। यह महिलाओं की कुल जनसंख्या का 29.7% है। इसी तरह पुरुषों में भी मोटापा की समस्या बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 31.4% और गांवों में रहने वाले 25% पुरुष मोटापाग्रस्त हैं। बात कुल जनसंख्या की करें तो यह प्रदेश की पुरुष आबादी का 27.1% है। पांच वर्ष पहले राज्य में कुल 17.7% फीसदी पुरुष ही मोटापे से परेशान थे। अधिक वजन या मोटापा होने से जोड़ों और कार्टिलेज पर अतिरिक्त दबाव आता है। इससे ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है। मोटे लोगों को मेटाबोलिक सिंड्रोम के कारण कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जो हृदय रोग, मधुमेह व हार्ट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है। मोटापे को अल्जाइमर रोग जैसे तंत्रिका संबंधी रोगों के कारक के रूप में भी शामिल किया गया है।

गंगा किनारे टापू में फंसा राजस्थान का एक युवक, जल पुलिस ने किया रेस्क्यू

ऋषिकेश, एजेंसी। मुनिकीरेती गंगा तट पर बैठा एक युवक हवा के तेज झोंके की चपेट में आकर गंगा में गिरा और वह बहते हुए गंगा पार पहुंच गया। जहां वह टापू में फंस गया। जल पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर इस व्यक्ति को सकुशल निकाला। थाना मुनिकीरेती के दयानंद आश्रम के समीप शुक्रवार की सुबह राजस्थान निवासी एक व्यक्ति गंगा किनारे बैठा था। तेज हवा के झोंके के कारण वह अपना संतुलन खो बैठा और गंगा में बहने लगा। गंगा में बहते हुए यह व्यक्ति गंगा के पार राजाजी टाइगर रिजर्व की गौहरी रेंज क्षेत्र के जंगल में टापू तक पहुंच गया। नदी के किनारे एक भारी पेड़ की जड़ को पकड़कर वह गंगा के बहाव के साथ बहने से बच गया। प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया शुक्रवार की सुबह छह बजे इस बात की सूचना मिली। जिसके बाद जल पुलिस मुनिकीरेती की टीम मौके पर पहुंची। राफ्ट की सहायता से टीम गंगा पार पहुंची। इस व्यक्ति को सकुशल वापस इस पार लाया गया। पुलिस के मुताबिक भीम सिंह (27 वर्ष) उत्तर बलवंत सिंह निवासी आवलोम जनपद जोधपुर राजस्थान बीते गुरुवार को यहां घूमने आया था। रेस्क्यू टीम में जल पुलिस के जवाब सुभाष ध्यानी, बृजेश चौहान, पुष्कर रावत, महेंद्र चौधरी और स्थानीय राफ्टिंग गाइड राहुल शामिल रहे।

सेवा ही परम धर्म है के उद्देश्य से काम करती हैं नर्सें : यतीश्वरानंद

रुड़की, एजेंसी। सिविल अस्पताल रुड़की में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सों के कार्यों को सराहा गया। साथ ही उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सेवा ही परम धर्म है, इस उद्देश्य से नर्सें कार्य करती हैं। सिविल अस्पताल के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी यतीश्वरानंद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वस्थ होने में नर्सों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनकी सेवा और देखभाल के कारण ही मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि कोरोनकाल में जब अपनों ने मरीजों का साथ छोड़ दिया था, उस समय नर्सों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की। देशभर में इस सेवा को करते हुए कई नर्सों की जान भी गई। उन्होंने कहा कि नर्सों का सम्मान करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. संजय कंसल ने कहा कि नर्स अस्पताल की रीढ़ हैं। उनकी सेवा और निष्ठा के कारण ही मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने अस्पताल की नर्सों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। इस दौरान अनिता, गिरजा, रश्मि, शशि रतूड़ी, जोलोबिना, नीतू, आशा, वर्षा, कविता, अमिता, सरिता, शशि सैनी, तपन शर्मा, कोशिका, श्वेता, मोनिका, ममता, सोफिया, शालिनी, शिवानी, पिंकी, सीमा एवं नवनीत सैनी आदि को शाल और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

यमुनोत्री धाम में डंडी कंडी और घोड़ा-खच्चर संचालक बेलगाम

वसूल रहे निर्धारित किराये से चार से पांच गुना अधिक

उत्तरकाशी, एजेंसी।

चारधाम यात्रा में यमुनोत्री धाम में सबसे अधिक अव्यवस्था सामने आ रही है। प्रशासन इसमें कोई सुधार नहीं कर पा रहा है। केदारनाथ और हेमकुंड की यात्रा से भी प्रशासन ने सीख नहीं ली है, जिस कारण यमुनोत्री धाम में घोड़ा-खच्चर, कंडी व डंडी (पालकी) संचालक बेलगाम हैं, जो यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। साथ ही यात्रियों को इन संचालकों के गलत व्यवहार को भी झेलना पड़ा है। घोड़ा, कंडी, पालकी संचालक निर्धारित किराये से चार से पांच गुना अधिक किराया वसूल रहे हैं।

यहां वृद्ध, दिव्यांग व पैदल चलने में असमर्थ यात्री घोड़ा, खच्चर, कंडी व पालकी में यमुनोत्री धाम जाते हैं। यमुनोत्री धाम में घोड़ा-खच्चर, कंडी पालकी की व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है।इसके संचालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत उत्तरकाशी के पास है। जिला पंचायत भी संचालन का जिम्मा ठेकेदार को दे देता है। ठेकेदार केवल जिला पंचायत के निर्धारित टैक्स की 120 रुपये प्रति घोड़ा, कंडी, पालकी की पर्ची काटता है।

इसके बाद घोड़ा, कंडी, पालकी संचालक यात्रियों से निर्धारित किराये से चार से पांच गुना अधिक किराया वसूल रहे हैं। जिला पंचायत ने इस पर नियंत्रण के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनायी है।गुरुवार को यमुनोत्री धाम में यात्रियों से अधिक किराया वसूलने और सही व्यवहार ना करने के मामले में जिला

पंचायत उत्तरकाशी ने 11 घोड़ा, कंडी, पालकी संचालकों के चालान काटे हैं।

केदारनाथ धाम में घोड़ा, कंडी, पालकी की व्यवस्था प्रशासन संचालित करता है। इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन किसी पंजीकृत एजेंसी को देता है। 16 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर आने के लिए घोड़ा-खच्चर का किराया 3800 रुपये है।इसमें भी यदि कोई यात्री केवल केदारनाथ जाने के लिए बुकिंग करेगा तो उसे 2500 ही देने पड़ेंगे, इसी प्रकार कोई यात्री केवल वापस लौटने के लिए बुकिंग कराएगा तो उसे 1300 रुपये देने होते हैं। यह किराया प्रशासन की ओर से निर्धारित की गई एजेंसी लेती है और यात्री को एक टोकन भी दे देती है। जब घोड़ा-खच्चर संचालक यात्री को सकुशल यात्रा करवा कर वापस लाते हैं तो यात्री टोकन को घोड़ा-खच्चर संचालक या एजेंसी के पास जमा करते हैं। इसके बाद एजेंसी घोड़ा-खच्चर संचालक को भुगतान करती है।

हेमकुंड साहिब यह होती है व्यवस्था हेमकुंड यात्रा मार्ग पर 19 किमी क्षेत्र में घोड़े व खच्चरों का संचालन होता है। हेमकुंड मार्ग पर घोड़ा-खच्चरों के संचालन के लिए नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क व प्रशासन ने स्थानीय हक हकूकधारी ग्रामीणों के साथ मिलकर ईको विकास समिति बनाई गठित की है।

तय किराये पर रोटेशन के अनुसार बुकिंग कर पर्ची दी जाती है। बुकिंग पर ईको विकास समिति का तय शुल्क ही भी शामिल रहता है। घोड़ा-खच्चर संचालक यात्रियों से अधिक शुल्क ना लें इसके लिए चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं।

पुरानी लाइन से कनेक्शन जुड़ा होने से नलों में आ रहा गंदा पानी

रुड़की, एजेंसी। सती एवं सोत मोहल्ले के कुछ घरों में गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। इसे लेकर उपभोक्ताओं ने जल संस्थान को शिकायत भी की जा रही है। उधर, जल संस्थान के अधिकारियों के अनुसार कुछ उपभोक्ताओं ने अपने घर का कनेक्शन अभी भी पुरानी लाइन से जोड़ रखा है। इसकी वजह से यह समस्या आ रही है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की ओर से शहर में पेयजल की नई लाइन डाली गई थी। नई लाइन से उपभोक्ताओं के घर का पेयजल कनेक्शन जोड़ा गया था। वहीं जल संस्थान की पुरानी पेयजल लाइनों को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन सती मोहल्ला, सोत मोहल्ला सहित कुछ अन्य ऐसे मोहल्ले हैं, जहां जल संस्थान के उपभोक्ताओं ने नई पेयजल लाइन से कनेक्शन तो ले लिया, लेकिन अभी भी पुरानी लाइन से कनेक्शन को जोड़ा हुआ है। इसकी वजह से सती एवं सोत मोहल्ले के कई घरों में दूषित पानी की समस्या बनी हुई है। जिसकी शिकायत उपभोक्ताओं की ओर से जल संस्थान से की जा रही है। उधर, जल संस्थान के सहायक अभियंता अरुण कुमार सोनी के अनुसार सती एवं

सड़क निर्माण में देरी पर विधायक नाराज

लालढांग, एजेंसी।
हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने गाजीवाली में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। पुराना खैरा ढाबा से एमराल्ड तिराहे तक पिछले करीब चार माह से सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने जल्द निर्माण कार्य तेजी से करने को निर्देशित किया है। गाजीवाली में विधानसभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने विधायक निधि से पुराना खैरा ढाबा से एमराल्ड तिराहे तक इंटरलाकिंग टाइल्स से सड़क निर्माण के लिए पुरानी सड़क को जेसीबी से खोदवाया था। विधानसभा चुनाव में अनुपमा रावत विधायक निर्वाचित हुई। तब से पुराने निर्माण कार्य पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विधायक अनुपमा रावत से की थी। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरा करने को निर्देशित किया। विधायक अनुपमा ने कहा कि इस मार्ग से छात्र-छात्राएं जहां स्कूल निकलती है, वहीं अधिकांश ग्रामीणों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है। ऐसे में प्राथमिकता से इस सड़क का निर्माण पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें यहां से जीता कर विधानसभा भेजा है वह जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। बताया कि अधिकारियों की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। इस अवसर पर रामपाल सिंह, डा. जयप्रकाश तोपाल, एसपीएस राठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय चौधरी, पूर्व प्रधान नंदराम, भोलू पाल शामिल रहे।

टिहरी में नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल के कारावास की सजा

नई टिहरी, एजेंसी।
विशेष न्यायाधीश पोक्सो व जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड में से 25 हजार रुपये की धनराशि पीड़ि?ता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के अंतर्गत निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 25 अप्रैल 2019 को बिना बताए घर से कहीं चली गई है।

खोजबीन के बाद स्वजन को पता चला कि पार्किंग में काम करने वाला उत्तर प्रदेश का एटा निवासी दीपक उनकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने घर ले गया है। इस दौरान दीपक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने नाबालिग को एटा से बरादम कर अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह और साक्ष्य के आधार पर को

पोक्सो एक्ट में दीपक को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

देहरादून के क्लेमेनटाउन रामगढ़ स्थित दूधातोली मंदिर में मूर्तियां चोरी करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं। पूछताछ में उसने बताया कि नशे की पूर्ति के लिए उसे मंदिर से मूर्तियां चोरी की थीं।

क्लेमेनटाउन थाने के इंचार्ज दीपक कठैत ने बताया कि बीते बुधवार को राजेश गुरंग ने तहरीर दी कि शाम को जब वह मंदिर में पहुंचे तो देखा कि मंदिर से अष्टधातु की चार मूर्तियां, गणेश जी, सरस्वती जी, हनुमान जी और गायब बछड़े की मूर्तियां चोरी हो रखी हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया। पुलिस ने मंदिर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की और सीसीटीवी खंगाले। पूछताछ के बाद पुलिस ने गुरुवार को आरोपित चिस्सोपानी मोथरोवाला निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार करते हुए मूर्तियां बरामद कर लीं।

थानाध्यक्ष के अनुसार पूछताछ में आरोपित दीपक कुमार ने बताया कि वह पहले आटो चलाता था। नशे की लत के कारण उसने अपना आटो भी बेच दिया। चोरी के एक मामले में वह जेल जा चुका है।

जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की, जिम्मेदार नदारद

उत्तरकाशी, एजेंसी।
चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और पर्यटक स्थल भी पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री और यमुनोत्री दो प्रमुख धाम हैं व 50 से अधिक पर्यटक स्थल हैं। लेकिन, यहां तीर्थ यात्रियों और सैलानियों को सड़क से लेकर धाम और पर्यटक स्थलों तक तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ रही है। परंतु, उत्तरकाशी में पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी अवकाश पर हैं तो प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेश की सैर पर हैं। चारधाम यात्रा में पंजीकरण से लेकर यात्रा मार्गों पर शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के पास है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं को जानने की जवाबदेही भी पर्यटन विभाग की ही बनती है। इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या, हृदय गति रुकने व अन्य कारणों से मारने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की संपूर्ण जानकारी संकलित करने और समय उसे जारी करने का जिम्मा भी पर्यटन विभाग के पास है। लेकिन, हैरानी इस बात की है कि पर्यटन विभाग इन तमाम जिम्मेदारियों से नदारद दिख रहा है। चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र बड़कोट दोबाटा में यात्रियों के लिए शौचालय व पानी की सुविधा तक नहीं है। यहां यात्रियों को धूप और वर्षा में खुले आसमान के नीचे अपनी पंजीकरण लाइन पर खड़ा होना पड़ रहा है। जनपद में पर्यटन विभाग ने कुछ स्थानों पर यात्रियों की सुविधा के लिए तिरपाल वाले शौचालय तो बनाए हैं।

मध्यमेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया 15 मई से होगी शुरू

रुद्रप्रयाग, एजेंसी। पंचकेदारों में शामिल द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो जाएगी। 19 मई को भगवान की उत्सव डोली के मध्यमेश्वर धाम पहुंचने पर इसी दिन विधि विधान एवं पौराणिक रीति रिवाजों के साथ भक्तों के दर्शनार्थ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने को लेकर बदरी-केदार मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। ताकि समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। प्रतिवर्ष पंचकेदारों के कपाट खोलने एवं बंद करने को लेकर तिथियां तय की जाती है। विजयदशमी पर्व पर पंचाग गणना के अनुसार द्वितीय केदार मध्यमेश्वर धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित की गई थी। तिथि के अनुसार 15 मई को भगवान मध्यमेश्वर की भोगमूर्ति को पूजा अर्चना के बाद पंच गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ स्थित गर्भगृह से बाहर लाकर सभामंडप में विराजमान किया जाएगा। इसी दिन भगवान की उत्सव डोली का श्रृंगार एवं पूजा अर्चना करने के बाद आरती की जाएगी। इसी दिन ऊखीमठ के पंचगाई गांवों की महिलाएं भगवान को छाबडी का भोग भी लगाएंगी। जिसके बाद भक्तजन भगवान के दर्शन भी करेंगे। 16 मई को भी उत्सव डोली यहीं पर विराजमान रहेगी।

तीन वारंटी गिरफ्तार किए

हरिद्वार (दैनिक हाक): नगर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न मामलों में जमानत मिलने के बाद न्यायालय में पेश नहीं हो रहे तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। खड़खड़ी चौकी बिजेंद्र सिंह कुमाई ने बताया कि मफरूर, हिस्ट्रीशीटर, फरार अपराधियों, एवं वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे वारंटी जॉनी उर्फ बाबू पुत्र रामचंद्र निवासी मस्तराम गली, हाल पता झुग्गी झोपड़ी मोतीचूर रेलवे स्टेशन चौराहा, निकट के.एन. फिलिंग स्टेशन खड़खड़ी, किशनपाल त्यागी पुत्र रघुनाथ त्यागी निवासी गुसाईं गली चौक खड़खड़ी एवं रजत सती पुत्र राजेंद्र सती निवासी कोरा माई कॉलोनी खड़खड़ी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम में कॉन्स्टेबल जितेन्द्र, जयदेव सिंह, राहुल धानिक, सुमन डोभाल, जितेंद्र शामिल रहे।

शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि.
कारपो. कार्यालयः 425, उद्योग विहार फेस IV, गुड़गांव-122 015 (हरियाणा)
दूरभाषः 0124-4212530/31/32
ई-मेलः customercare@shubham.co वेबसाइटः www.shubham.co

कब्जा प्राप्ति सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसंरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभवीकरण अधिनियम 2002 के नियमानुसार यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि. द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसंरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभवीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(12) एवं सपठित नियम (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्णित ऋणकर्ता/ओं को प्रत्येक के सामने वर्णित तिथि को नोटिस जारी करने की तिथि से 60 दिन के भीतर देय धनराशि को चुकता करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता ऋण की धनराशि अदा करने में असमर्थ रहा है अतः ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से नोटिस जारी किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने संदर्भित अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि में कब्जा प्राप्त कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई भी लेन-देन बिना शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कंपनी लि. को देय धनराशि तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी तक वर्जित है।

ऋणकर्त्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के प्राविधानों के अनुसार बन्धक सम्पत्ति की वापसी के सम्बन्ध में समय की उपलब्धता की ओर आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	ऋण संख्या/ऋण धारक, सह-ऋण धारक	मांग सूचना धनराशि	मांग सूचना की तिथि	अचल सम्पत्ति का विवरण	चस्पा करने की तिथि
1.	0RDP1709000005008051, पवन कुमार सिंह, रिंकू सिंह	रु. 2,81,948/-	24 फरवरी 2022	खेत संख्या 84, निजी भूखण्ड सं. 355, ग्राम कोल्डा, रुद्रपुर उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड-263153	12.05.2022
2.	0RDP1807000005013791, श्री कृष्ण, सीता रानी	रु. 3,38,735/-	24 फरवरी 2022	खाता सं. 77, खेत सं. 77ख, 78क, सुखमनी कॉलोनी गदरपुर, तहसील उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 263152	12.05.2022
3.	0RDP1810000005015610, सन्दीप कौर, मानाजीत कौर	रु. 8,94,205/-	24 फरवरी 2022	भूखण्ड सं. सी3, खसरा सं. 194/3, निजी भूखण्ड सं. सी, ग्राम बिगवाड़ा तहसील किच्छा यू.एस. नगर, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड- 263153	12.05.2022

स्थानः गुड़गांव
दिनांकः 13.05.2022
प्राधिकृत अधिकारी
शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि.

फार्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत)

रुक्मिणी आयरन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के लिए सूचना

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	रुक्मिणी आयरन प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	11/03/2004
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत	कम्पनियों के पंजीयक, दिल्ली भारत, कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U22109DL2004PTC125131
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः X-18, तीसरी मंजिल, कमरा नं. 04, लोहा मण्डी, नारायणा दक्षिण पश्चिम दिल्ली डीएल 110028 IN
6.	कॉरपोरेट देनदार के सम्बन्ध में दिवाला प्रारम्भ तिथि	11 मई 2022
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया को बन्द करने की अनुमानित तिथि	07.11.2022
8.	अन्तरिम पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	अजीत कुमार पंजीकरण सं. आईबीबीआई/आईपीए-003/ आईपी-एन00062/2017-18/10548
9.	अन्तरिम समाधान पेशेवर का पता व ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	रजि. पता संस्कृति अपार्टमेन्ट जीएच-22, सेक्टर 56, गुरुग्राम, हरियाणा व पंजाब 122011 ईमेल- cmaajitjha@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल।	कार्यालय का पता -83, राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, शंकर चौक, एनआर एंबियंस मॉल / डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम- 122002 ईमेल- cirp.rukminiiron@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	25.05.2022
12.	अन्तरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हों	लागू नहीं
13.	एक क्लास में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(अ) प्रासंगिक फार्म प्रपत्र एवं	(अ) www.ibbi.gov.in
	(ब) अधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण उपलब्ध हैं।	(ब) लागू नहीं

यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण ने 11 मई 2022 को रुक्मिणी आयरन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। रुक्मिणी आयरन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को एतद्द्वारा 25 मई 2022 को या उससे पहले अपने दावों को प्रमाण के साथ प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अन्तरिम समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदार अपने दावों को सबूत के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध एक वर्ग से सम्बन्धित एक वित्तीय लेनदार, फार्म सीए में वर्ग (एनए), के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के विरूद्ध सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसन्द का संकेत देगा। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दण्ड लगाया जाएगा।
अजीत कुमार
अन्तरिम समाधान पेशेवर
पंजीकरण संख्याः आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-एन00062/2017-18/10548
दिनांकः 12 मई 2022
स्थानः गुरुग्राम